



Neutral Citation No.-2026:AHC:39026-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1962/2026

हसीन और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मयंक शेखर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में पूरक शपथपत्र दायर किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका थाना मिलक, जिला रामपुर में बी.एन.एस. की धारा 65(1), 191(2), 191(3), 333, 115(2), 352, 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5न/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0553/2025 को उद्भूत करने वाली दिनांक 14.12.2025 की एफ.आई.आर. को खारिज करने की मांग करती है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्तागण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें अंतरस्थ हेतु वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया परिवाद किया गया कोई अपराध प्रकट नहीं होता और इस प्रकार आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का प्रबलतापूर्वक विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया



परिवाद किया गया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और अपने कथन के समर्थन में बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के प्रकथन वाली अभियोग दैनिकी की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सोलह वर्ष की आयु की है और उसे मृत्यु के भय में डालकर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315** और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय **आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती।

6. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए और आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के प्रकथन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह लगभग सोलह वर्ष की आयु की अल्पवयस्क बालिका है और उसे मृत्यु के भय में डालकर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया है, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इस प्रकार आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती, विशेष रूप से राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि और उनकी दलीलों को नोट करते हुए, हमारा मत है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती।

7. अतः आक्षेपित एफ.आई.आर. को खारिज करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. रिट याचिका किसी भी गुण-दोष से रहित है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

20 फ़रवरी, 2026

ज़फ़र

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)